

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक C/799 /

जबलपुर, दिनांक 12/03/2021

II-14-56/2020

श्रीमती बरखा शर्मा, Senior Personal Assistant, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को पूर्व स्वीकृत दिनांक 27.05.2020 से 20.11.2020 तक 178 दिन के प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 21.11.2020 से 18.02.2021 तक 90 दिन के संतान पालन अवकाश के तारतम्य में म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग संतान पालन अवकाश के अनुसार दिनांक 19.02.2021 से 19.05.2021 तक 90 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार



(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/800 /

जबलपुर, दिनांक 12/03/2021

II-14-40/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 637/स्था. ग्वालियर दिनांक 05/02/2021 के संदर्भ में श्रीमती बरखा शर्मा, Senior Personal Assistant, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र दिनांक 23.01.2021 वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)  
ओ.एस.डी. कम पी.पी.एस.